।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

अपील संख्या 04/2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
सवाई सिंह पुत्र अखे सिंह जाति राजपूत निवासी गांव मालूसर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर		सरकार जरिये नायब तहसीलदार फलसूण्ड

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 27.11.2014 नायब तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा प्रकरण संख्या 93/2014 में पाारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुरलीधर जोशी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज प्रत्थर्थी की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक : 24 मार्च, 2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम मालुसर के खसरा नम्बर 97 रकबा 1223 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन मगरा में 8 बीघा भूमि पर बाजरी की काश्त अतिक्रमण कर संवत् 2071 में करने की हलका पटवारी की रिपोर्ट पर प्रत्यर्थी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 93/2014 दर्ज कर उसे नोटिस जारी कर जबाब मांगा। उक्त नोटिस अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार करने पर इस आशय की रिपोर्ट तामील कुनिन्दा की ओर से हलका पटवारी के पृष्ठांकन के साथ प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा उस पर रू. 32/– की शास्ति अधिरोपित करते हुए वर्ष 2011 में भी इसी भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार भणियाणा के न्यायालय प्रकरण संख्या 165/2011 में निर्णय दिनांक 30.09.2011 द्वारा जुर्माना अधिरोपित कर बेदखल करने का उल्लेख करने हुए उसे आदतन अतिचारी करार कर एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। जिसमें कथन किया गया है उसके द्वारा सम्मन लेने से इंकार नहीं किया गया। जहां कोई सम्मन लेने से इंकार करता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 16 में उसके आबाद मकान पर सम्मन चस्पा कराकर तामील का प्रावधान है, जो इस प्रकरण में नहीं हुआ है। अपीलार्थी ने अपने पिता से अलग रहना व कोई काश्त नहीं करना कथन करते हुए व्यक्ति किया है कि गांव में दलबन्दी के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। उसके पिता के हक में उप जिलाधीश पोकरण के न्यायालय में ग्राम ओला के खसरा नम्बर 97 रकबा 50 बीघा का वाद संख्या 225/84 दिनांक 22.12.1984 के निर्णय द्वारा खातेदारी की डिक्री होने के उपरांत भी उसका अभिलेख में अमल दरामद नहीं होना उल्लेखित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपास्त करनेका अनुरोध किया गया है। अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया है कि उक्त निर्णय 27.11.2014 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 14.05.2015 को हुई जिस पर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील दिनांक 29.05.2015 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र में अपील में कारित विलम्ब क्षम्य कर अपील समयावधि में शुमार करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि अपीलार्थी की जानकारी में आने के 30 दिवस में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः कारित विलम्ब को क्षम्य अपील अपीलार्थी समयावधि में शुमार की जावें। पेरोकार राज द्वारा इसका विरोध कर अपील समयावधि के बिन्दु पर खारिज करनेका तर्क प्रस्तुत किया। न्यायहित में अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब का शमन करते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना निश्चित किया जाता है।

गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करने का तर्क प्रस्तुत किया। पेरोकार राज का तर्क रहा कि अभिलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थी आदतन अतिक्रमी रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय द्वारा दिया गया दण्ड विधि सम्मत होने से अपील खारिज योग्य ठहरती हैं उनका आगे तर्क रहा कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से जारी सम्मन लेने से इंकार करने की रिपोर्ट तामील कुनिन्दा व हलका पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही विधि सम्मत एवं युक्तियुक्त होने से अपीलाधीन निर्णय पोषणीय होने से अपील खारिज की जावें।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा ग्राम मालूसर के खसरा नम्बर 97 की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर संवत् 2071 में 8 बीघा भूमि पर नाजायज काश्त की गई है। अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी द्वारा इसी भूमि पर वर्ष 2011 में अतिक्रमण कर काश्त करने व जुर्माना अधिरोपित कर बेदखल करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 नियम 16 व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करने के संबंध में है। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता के हक में ग्राम ओला के खसरा नम्बर 97 रकबा 50 बीघा भूमि का दावा जो वर्ष 1984 में डिक्री होना बताया जाता है का वर्तमान प्रकरण की प्रश्नगत भूमि से कोई संबंध होना नहीं पाया जाता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए अपीलार्थी को जारी नोटिस की तामिल उस पर विधिवत नहीं हुई है, जिससे उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना नहीं ठहरता। जहां अप्रार्थी किसी नोटिस / समन को प्राप्त करने से इंकार करे तो इस आशय की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट दो मातबिरान की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर अन्तर्गत होना वांछनीय है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट की ताईद केवल हलका पटवारी द्वारा की गई है। अप्रार्थी द्वारा समन / नोटिस प्राप्त करने की इंकार की स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 के अन्तर्गत ऐसे समन / नोटिस की तामील अप्रार्थी के आबाद मकान के दृश्य भाग पर मौतबिरान की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर चस्पा करने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2014 अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर